



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

OLC

क्रमांक 3029 / अका. / सम्बद्धता / 2016

रायपुर, दिनांक : 06 / 12 / 2016

## ॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22.11.2016 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24.11.2016 के निर्णयानुसार दौलत राम शर्मा शासकीय महाविद्यालय, कसडोल, जिला-बालौदाबाजार-भाटापारा को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	M.A. Prev. Geography क्र. नं. शासन 3. छा. वि. आदेश उम्मांडु शर्त :- F. 3-34/2015/38-1 ता. 22.12.16	30	2016-17

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- M.A. Final Geography की सम्बद्धता हेतु 30 जून 2017 तक शुल्क जमा कर आवेदन विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
- जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 3030 / अका. / सम्बद्धता / 2016

रायपुर, दिनांक 06 / 12 / 2016

### प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा,
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास, कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

## भाग "ब"

भाग 'आ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा मरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता / अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

विश्वविद्यालय के अधीक्षा क्र. २५७८/अका०/२०१८, रायपुर १४.१०.२०१६ के तहत अब्दियाँक १२.११.२०१६ को एम.१२.२०२० भूगोल की लम्बाई हेतु निरीक्षण किया गया तथा निम्न तथ्य पाये गये-

१. बटाकैव्यालय की अपना स्वयं का भवन इनिसमें द्यायी प्रायार्थ निशुक्त है।
२. यहां एवं उनस्वर पर्याप्त भवा में उपक्रिया की दृष्टिकोण स्वतंत्र है।
३. भूगोल विषय हेतु केवल एक अध्यायी शास्त्रीय शिक्षण है।
४. भूगोल प्रामोगिक कार्य हेतु पर्याप्त संस्थामें उपलब्ध उपलब्ध नहीं हैं।
५. पर्याप्त छंडाल और भूखेक उपलब्ध नहीं हैं। अतएव २ अतिरिक्त शिक्षक ५०००/- की दूसरी बृहथा अवैध है एवं पर्याप्त भवा में प्रयोग हेतु उपकरण इयं किये जाने की दृष्टिकोण स्वतंत्र है।

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम-पत्र हस्ताक्षर Dr. A.K. Pandey

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम-पत्र

विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पत्र

दिनांक १२.११.२०१६

प्रति,

कुलसचिव,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)

अग्रमें नय सुपथा रायें